उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण

(यूपीडा)

बोर्ड की 35वीं बैठक

दिनांक 27.11.2017 की कार्यवृत्त।

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण
सी-13, पर्यटन भवन, द्वितीय तल, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010
0522 2307592, 2307542 4108184 फैक्स: 0522.4013560

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 27.11.2017 को सम्पन्न हुई 35वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित प्रतिभागियों ने भाग लिया :–

1. श्री अवनीश कुमार अवस्थी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा। —अध्यक्ष
2. श्री सीताराम यादव संयुक्त सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास उ0प्र0 शासन, (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, अवस्थापना एव औद्योगिक विकास) —सदस्य
3. श्री अभय कुमार उप सचिव, लोक निर्माण, उ0प्र0 शासन (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, लोक निर्माण) —सदस्य
4. श्री अरुणेश कुमार द्विवेदी अनु सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, आवास) —सदस्य

विशेष आमंत्री:–

1. श्री विश्वजीत राय, उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं वित्त नियंत्रक, यूपीडा।
2. श्री ए0के0 पाण्डेय, मुख्य अभियन्ता, यूपीडा।
3. श्री जे0पी0 सिंह, सलाहकार भू–अर्जन, यूपीडा।
4. श्री बी0सी0 तिवारी, विशेष कार्याधिकारी वन, यूपीडा।
5. श्री के0के0 गुप्ता, सलाहकार वित्तीय संस्थाए।
6. श्री के0के0 सिंह विसेन, विशेष कार्याधिकारी, यूपीडा।
7. श्री एन0एन0 श्रीवास्तव, अधीक्षण अभियन्ता, यूपीडा।
8. श्री एस0पी0 तिवारी, प्रबन्धक प्रशासन, यूपीडा।
9. श्री पी0के0 तिवारी, (सलाहकार विधि), यूपीडा।
10. श्री विनोद लाल दास, ज्येष्ठ खनन अधिकारी, यूपीडा।
11. श्री बी एस दुबे सलाहकार यूपीडा।

उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निदेशक मण्डल के सदस्यों का 35वीं निदेशक मण्डल की बैठक मे स्वागत किया एव एजेण्डा नोट पर बिन्दुवार चर्चा प्रारम्भ की गई:–

एजेण्डा बिन्दु संख्या0 1:–

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 25.10.2017 को सम्पन्न हुई 34वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि हेतु उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निदेशक मण्डल से अनुरोध किया गया।

कार्यवाही / निर्णय:– निदेशक मण्डल द्वारा 34वीं बैठक में प्रस्तुत कार्यवृत्त से अवगत होते हुए कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

एजेण्डा बिन्दु संख्या0 2:–

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 25.10.2017 को सम्पन्न 34वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या से उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गया।

कार्यवाही / निर्णय:– निदेशक मण्डल द्वारा 34वीं (25.10.2017) बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या एजेण्डा नोट पृष्ठ 368–373 से अवगत होते हुये उक्त पर संतुष्टि व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु संख्या0 3 आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे के वित्तपोषण हेतु हुडको से लिये गये ऋण को बैंकों के माध्यम से "टेक–ओवर" विषयक प्रस्ताव।

कार्यवाही / निर्णय:–

"Board of Directors of UPEIDA, having perused the Agenda Note No. 3 placed before it in the meeting held on 27 November 2017 approved and passed the following Resolutions:-

a. "That the offer to UPEIDA by the Bank / Banks as finalised in consultation with the State Government (hereinafter referred to as 'the Bank') for a loan not exceeding Rs 1530.64 on the terms and conditions as contained in their Offer Letters (copies of which duly signed by the Chief Executive Officer and Chairman of the Board, for the purpose of identification, have been circulated as a part of agenda placed before the Board) for the purpose of taking over the loan earlier availed by UPEIDA from Housing & Urban Development Corporation (HUDCO) on the terms and conditions as contained in HUDCO Loan Sanction Letter No. HUDCO/LRO/SCH-20799/2015/344 dated 02 July 2015 (and amendment letter no HUDCO/LRO/SCH-20799/2016/1462 dated 16 February 2016) be and is hereby accepted."

b. "That the aforesaid borrowing from the Bank, being the takeover by the Bank of the loan already availed of by UPEIDA from HUDCO, is within the borrowing limits of UPEIDA and is in accordance with the State Government approvals and does not contravene any provisions of The Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976 or any limitations imposed under any regulation(s) as this loan is in replacement of the loan availed earlier by UPEIDA from Housing & Urban Development Corporation (HUDCO) on the terms and conditions as contained in HUDCO Loan Sanction Letter No. HUDCO/LRO/SCH-20799/2015/344 dated 02 July 2015 (and amendment letter no HUDCO/LRO/SCH-20799/2016/1462 dated 16 February 2016)."

... the Chief Executive Officer, be and is authorised on behalf of UPEIDA, to convey to the Bank the acceptance of the said offer of loan on the terms and conditions contained in the above-referred loan offer letters of the Bank and agree to such changes and modifications in the said terms and conditions as may be suggested and acceptable to the Bank from time to time, and execute such deeds, documents and other writings as may be necessary or required for this purpose."

d. "That UPEIDA do borrow from the Bank the said loan not exceeding Rs 1532.64 crore (Rupees one thousand, five hundred and thirty two crore and sixty four lakhs only) on the terms and conditions as may be set out in the standard format of Loan Agreement, including its General Conditions for Loan in addition to the special terms and conditions that are proposed by the Bank."

e. "That the Chief Executive Officer be and is hereby authorised to accept the standard formats of Loan Agreement and ESCROW Agreement in relation to the aforesaid loan on behalf of UPEIDA with such modifications therein as may be necessary and acceptable to the Bank, and finalise the same as also to open and operate an ESCROW account as required."

f. "That the Chief Executive Officer be and is hereby authorised to execute the Loan Agreement and Escrow Agreement and furnish to the Bank such securities as stipulated therein relating to the above-mentioned loan within the period stipulated by the Bank."

g. "That the Chief Executive Officer be and is hereby authorised to execute the Letter / Deed of Undertakings to be given by UPEIDA as also any other document as required by the Bank (as per the standard formats with such modifications as may be agreed to between Bank and UPEIDA)."

h. "That the Chief Executive Officer be and is hereby authorised to accept amendments to such executed loan agreement, escrow agreement, Letter / Deed of Undertakings to be given by UPEIDA and/or any other document as and when become necessary and to sign letters of undertakings, declarations, agreements, acknowledgement(s) and other papers which UPEIDA may be required to sign in relation to the aforesaid loan."

i. "It is further resolved to authorise the Chief Executive Officer of UPEIDA to approach the Government of Uttar Pradesh for various approvals needed from them in fulfilment of the requirements of complying with the terms and conditions of the aforesaid Loan and, in accordance with the Government approvals so accorded, place the matter for Board's resolution from time to time as may be necessary."

'आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे' परियोजना पर इन्डस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किये जाने सम्बन्धी परियोजना की 'प्री–फिजिबिलिटी रिपोर्ट' तैयार कराने हेतु परामर्शी के चयन के लिये 'टर्म्स ऑफ रेफरेन्स' के आलेख्य के अनुमोदन के सम्बन्ध मे।

निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि मा0 मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे परियोजना' पर 10,000 हेक्टेयर की भूमि पर 'इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर' की स्थापना की जानी है। तत्क्रम में दिनांक 13.09.2017 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक मे भी यह निर्देशित किया गया था कि 'आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे परियोजना' पर समयबद्ध रूप से 'इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर' विकसित किये जाने हेतु 'प्री–फिजिबिलिटी रिपोर्ट' तैयार कराया जाये एवं तत्पश्चात डी0पी0आर0 तैयार करायी जाये। उक्त बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में 'आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे परियोजना' पर 'इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर' स्थापित करने के सम्बन्ध मे मा0 मंत्री परिषद से सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव भी यूपीडा द्वारा प्रशासनिक विभाग को प्रेषित किया गया है।

निदेशक मण्डल को यह भी अवगत कराया गया कि 10,000 हैक्टेयर भूमि पर चार से पांच 'इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर' जोन्स सहित 'इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर' बनाये जाने सम्बन्धी परियोजना की 'प्री–फिजिबिलिटी रिपोर्ट' परामर्शी के माध्यम से तैयार करायी जानी है। परामर्शी के चयन के लिये बनाए गये 'टर्म्स आफ रेफरेन्स' के आलेख्य को निदेशक मण्डल के निर्णयार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

कार्यवाही/निर्णय

'टर्म्स आफ रेफरेन्स' के आलेख्य पर विचार–विमर्श के उपरान्त निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान करने के साथ ही उक्त 'टर्म्स आफ रेफरेन्स' को 'परामर्शी मूल्यांकन समिति' के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या0 5:–

अधिष्ठान एवं प्रशासन से सम्बन्धित कार्यों का अनुमोदन।

कार्यवाही/निर्णयः– उपरोक्त से अवगत होते हुए निदेशक मण्डल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या0 6:–

मा0 उच्च न्यायालय एवं उच्चतम् न्यायालय में प्रचलित वादों के विवरण अद्यतन दिनांक 23.11.2017 तक संलग्न 1–4 पर स्थापित।

कार्यवाही/निर्णयः– बोर्ड के सदस्यों द्वारा प्रगति से अवगत होते हुये कार्य प्रगति पर संतुष्टि व्यक्त की गई।

एजण्डा बिन्दु संख्या0 7:–

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले खनिजों की उपलब्धता के सम्बन्ध में।

कार्यवाही/निर्णयः– पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले खनिजों की उपलब्धता के सम्बन्ध में वरिष्ट खनन अधिकारी यूपीडा द्वारा सदस्यो को अवगत कराया गया एव निम्न प्रस्ताव पर अनुमोदन हेतु अनुरोध किया गया ।

(अ)– मोरम क्षेत्रों के लिए खनन योजना तैयार कर, अनुमोदन कराने एवं स्वच्छता प्रमाण–पत्र प्राप्त कराने हेतु अल्पकालीन RQP नियुक्त करने के सम्बन्ध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी को अधिकृत किया गया यह भी निर्णय लिया गया कि खनन योजना तैयार करने व स्वच्छता प्रमाण पत्र हेतु आर0क्यू0पी0 अलग–अलग चरणों में चयनित किऐ जाए।

(ब)– खनन प्रकोष्ठ के अन्तर्गत खानों के संचालन हेतु प्रबन्धकों को संविदा पर नियुक्त करने के सम्बन्ध में खनन अधिकारी ने अवगत कराया कि पाच खनन प्रबंधक की संविदा नियुक्ति की जानी है जिनमें तीन प्रबंधक परमिट या प्रबंधक द्वितीय श्रेणी, दो प्रबधक प्रथम श्रेणी पर रखे जाने हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी को अधिकृत किया जाना है। उक्त प्रस्ताव पर बोर्ड सदस्यो द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए मुख्य कार्यपालक अधिकारी को अधिकृत किया गया ।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने सदस्यो को यह भी अवगत कराया है कि उक्त पदो के चयन को पूर्ण पारदर्शी बनाया जाऐगा, प्रबंधको के प्राप्त आवेदक पत्रो की स्कूट्रनी उपरान्त चयन हेतु तीन सदस्यीय चयन समिति चयन प्रकिया करेगी। समिति में मुख्य अभियन्ता, ज्येष्ठ खनन अधिकारी एवं निर्देशक खनन अथवा उनका नामित सदस्य होगा। सभी आवेदकों को पद पर चयन हेतु लिखित परीक्षा देनी होगी, चयन में 70 प्रतिशत अंक लिखित परीक्षा के एवं 30 प्रतिशत अंक साक्षात्कार के होगे।

एजेण्डा बिन्दु संख्या0 8:–

आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे पर अथॉरिटी इंजीनियर के स्टाफ एवं अन्य सम्बन्धित मदों का Maintenance Period हेतु reorganization पर विचार/अनुमोदन।

कार्यवाही/निर्णयः– मुख्य अभियंता द्वारा आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे पर अथॉरिटी इंजीनियर के स्टाफ एवं अन्य सम्बन्धित मदों का Maintenance Period हेतु Reorganization पर प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, उक्त पर चर्चा करते हुए अध्यक्ष महोदय ने अवगत कराया की मार्ग कि अनुरक्षण अवधि में कार्य की आवश्यकतानुसार अॅथारिटी इंजीनियर के स्टाफ में परिवर्तन प्रस्तावित किया जा रहा है। अनुबन्ध में पूर्व में ATMS का प्रस्ताव नही था, अब जब यह प्रस्ताव सम्मिलित कर लिया गया एवं कैबिनेट का अनुमोदन भी प्राप्त हो गया है तो हमें ATMS विशेषज्ञों की आवश्यकता होगी, अॅथारिटी इंजिनियर के अनुबंध की लागत लगभग 82 करोड रू0 है, जो अब प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्यात् भी अनुबंधित लागत के अंदर 73 करोड रू0 तक रहने की सम्भावना है। इस प्रकार अनुबंध में कोई व्यायाधिक नही होगा। यह भी निर्णय लिया गया कि ATMS/TMS विशेषज्ञो को अनुरक्षण की अवधि में प्रस्तावित 3 माह के स्थान पर 6 माह के लिए रखा जाए, क्योकि उक्त अवधि मे ATMS के कार्य भी

सम्पादित होगे। उपरोक्त प्रस्ताव पर निदेशक मण्डल द्वारा सहमति व्यक्त कर अनुमोदन प्रदान किया गया।

अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक महोदय द्वारा लोक निर्माण विभाग के प्रतिनिधि को अवगत कराया गया कि अम्ब्रेला स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट के क्लाज 2. 2 को परिवर्तित करते हुए यह व्यवस्था रखी जाए कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ मे MORTH/NHAI राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित परियोजनाओं की सूची उपलब्ध करायेंगे। राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सूची पर प्रदेश में मार्ग निर्माण की कार्यदायी संस्थाओं/विभागों से 21 दिन के अन्दर सहमति/आपत्तियां प्राप्त की जायेगी। यदि प्रदेश सरकार की किसी कार्यदायी संस्था/विभाग द्वारा मे MORTH/NHAI द्वारा सूचित परियोजनाओं की सूची में से किसी परियोजना को प्रदेश सरकार द्वारा संचालित/संचालित किये जाने हेतु प्रस्तावित परियोजना के साथ प्रतिस्पर्धा मार्ग (competing Road) की श्रेणी में पाये जाने के कारण आपत्ति दी जाती है तो इस आपत्ति पर लो0 नि0 विभाग राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाए । सभी आपत्तियों पर निर्णय हो जाने के पश्चातू परियोजनाओं की संशोधित सूची MORTH/NHAI को एक माह में उपलब्ध करा दी जाएगी।

साथ ही आवास एवं शहरी नियोजन के प्रतिनिधि को अवगत कराया कि क्या इन्डस्ट्रियल कोरिडोर में आवासीय सुविधाओं की व्यवस्था की जानी है? इस सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, आवास को एक औपचारिक पत्र भेजा जायेगा कि आगरा एवं इटावा पर आवासीय भूमि उपलब्ध है। यदि आवास विभाग चाहे तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवास निर्मित कराये जा सकते हैं, जिसके लिये आवास विभाग के स्तर पर संयुक्त बैठक करायी जा सकती है और अन्य स्थल भी चिन्हित किये जा सकते हैं।

अंत में माननीय अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक सम्पन्न हुई।

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 27.11.2017 को सम्पन्न हुई 35वीं बैठक के उपरोक्त कार्यवृत्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा, पत्रावली में दिनांक 27 नवम्बर, 2017 को अनुमोदित किये गये है।

(विश्वजीत श्रेय)
उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी
यूपीडा, लखनऊ।